आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के प्रबन्ध परिषद की 190 वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 13–07–2021

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन, अष्टमतल,
गोमतीनगर , लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 1.30 बजे ।

उपस्थिति :

1– डा0 बिजेन्द्र सिंह , कुलपति – अध्यक्ष

2– श्री बृजराज सिंह यादव, विशेष कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

3– श्री मदन राजा मौर्या , संयुक्त निदेशक कोषागार, लखनऊ नामित सदस्य अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

4– श्री जगदीश कुमार , संयुक्त कृषि निदेशक नियोजन प्रतिनिधि निदेशक कृषि उ0प्र0 – सदस्य

5– डा0 पीयूष त्रिपाठी उपनिदेशक (प्रशिक्षण) प्रतिनिधि निदेशक पशुपालन उ0प्र0 – सदस्य

6– डा0 उमाशंकर सिंह , कृषि वैज्ञानिक – सदस्य

9–श्री विजय बहादुर दूबे , पशु प्रजनक – सदस्य

10–श्री गंगा सागर राय , प्रख्यात उद्योगपति – सदस्य

11– श्रीमती मुन्नी शर्मा, महिला सामाजिक कार्यकर्त्री – सदस्या

12– डा0रणधीर सिंह , प्रतिनिधि आई0सी0ए0आर0 आनलाइन(meet.google.ccm/rwd-eero-shc) comptrollernduat@gmail.com(organiser) – सदस्य

13– श्री नीरज श्रीवास्तव, वित्त नियंत्रक – सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति/अध्यक्ष ने बैठक में प्रथम बार आनलाइन प्रतिभाग करने वाले नवागत माननीय सदस्य डा0रणधीर सिंह , प्रतिनिधि आई0सी0ए0आर0 का स्वागत किया गया तथा प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों से परिचय कराया गया , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव सं0 190:1 प्रबन्ध परिषद की गत 189वीं बैठक दिनांक 05–02–2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

प्रबन्ध परिषद की गत 189वीं बैठक दिनांक 05–02–2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

प्रस्ताव सं0190: 2 प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना बैठक में प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यो के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिससे प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुए एवं कृत कार्यवाही से सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए कुछ बिन्दुओ पर निम्नवत निर्णय लिये गये :–

<u>प्रबन्ध परिषद की 189वीं बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव</u>

प्रस्ताव सं189:3 चालू शैक्षणिक सत्र में छात्राओं की बढी हुयी संख्या को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु राप्ती छात्रावास के बगल में 8 फिट ऊँची 100 मी0 लम्बी चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं उस पर होने वाले सम्भावित रू0 12.00 लाख के व्यय को विश्वविद्यालय श्रोत से वहन किये जाने पर विचार एव निर्णय ।

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि कोविड–19 संक्रमण व लाकडाउन के कारण चहारदीवारी का निर्माण कार्य नही कराया जा सका है तथा राप्ती छात्रावास के बगल में मण्डी परिषद द्वारा चहारदीवारी का निमार्ण कार्य कराया जा रहा है एवं उनके द्वारा यह आश्वस्त किया गया है कि यदि उनकी योजना में कोई बचत होगी तो उक्त वांछित चहारदीवारी का निर्माण उन्ही के स्तर से करा दिया जायेगा। यदि इसके उपरान्त भी चहारदीवारी का कुछ भाग अवशेष रह जाता है तो उक्त प्राविधानित धनराशि से चहारदीवारी का अवशेष निर्माण कार्य पूर्न कराया जायेगा । वित्त उपसमिति उक्त सूचना से अवगत हुयी तथा सुझाव दिया गया कि अवशेष चहारदीवारी का निर्माण कराया जाए ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0189:6 डा0 धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्राध्यापक कम सह अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय (परिसर) आजमगढ की पूर्व सेवाओं व प्राप्त वेतन के आधार पर छठे वेतन आयोग के अनुरूप मूलवेतन संरक्षित किये जाने पर विचार एव निर्णय ।

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि लिये गये निर्णयानुसार डा0 धीरेन्द्र कुमार सिंह का वेतन संरक्षित किये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है किन्तु अभी तक शासन का आदेश प्राप्त नही हुआ है। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि शासन स्तर से शीध्र मार्गदर्शन प्राप्त नही होता है तो शासन से यह अनुरोध कर लिया जाये कि स्पष्ट नियमों के अभाव में प्रकरण को प्रबन्ध परिषद के स्तर पर निर्णय लेने हेतु प्रकरण पुनः प्रबन्ध परिषद को वापस प्रेषित कर दिया जायें ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव सं0189:10 चालू शैक्षणिक सत्र में नवागन्तुक छात्रों को एकल रूम की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य परिसर के रिक्त आवासों में छात्रों को अधिवासित करने हेतु 200 नग तखत, 200 नग कुर्सी एवं 200 नग मेज के कय पर रू 12.00 लाख के अनुमानित व्यय के विश्वविद्यालय श्रोत से वहन किये जाने पर विचार एव निर्णय।

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि कोविड–19 संकमण व लाकडाउन के कारण फर्नीचर का कय नही किया गया है। वित्त उपसमिति ने सुझाव दिया कि आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय श्रोत से फर्नीचरों का कय किया जाय जिससे छात्रों को असुविधा न हो ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से उक्त के आलोक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय को जितनी आवश्यकता हो उसी के अनुसार फर्नीचरों का कय किया जाय ।

प्रस्ताव सं0189:12 विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थापित महामाया कृषि अभियन्त्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर के गोदावरी छात्रावास एवं कावेरी छात्रावास के शौचालय का अनुरक्षण कराये जाने एवं उस पर होने वाले सम्भावित रू 10.00 लाख के व्यय को विश्वविद्यालय स्रोत से वहन किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि कोविड–19 संकमण व लाकडाउन के कारण महामाया कृषि अभियन्त्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर के गोदावरी छात्रावास एवं कावेरी छात्रावास के शौचालय का अनुरक्षण नही कराया गया है । वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से महाविद्यालय के छात्रावासों के शौचालय का अनुरक्षण कार्य रू0 10.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत शीध्रातिशीध्र कराये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव संख्या189:13 विद्वत परिषद की 282 वीं बैठक के मद सं. 282:1642 एवं 283 वीं की बैठक के मद संख्या 283:1645 के निर्णय के कम में कृषि व्यवसाय प्रबन्धन विभाग **Department of Agri Business Management)** की स्थापना पदों हेतु न्यून्तम अर्हता निर्धारण तथा शिक्षण सत्र 2021–22 से 40 सीटों के साथ **MBA in Agri Business** पाट्यकम हेतु शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया कि चालू शैक्षिक सत्र से विश्वविद्यालय में MBA in Agri Business पाठ्यकम संचालित किया जायेगा ।

प्रस्ताव सं0189:17 भारत सरकार के वित्त पोषण से जनपद जौनुपर में कृषि विज्ञान केन्द्र बक्शा ,जौनपुर में कार्यरत श्रीमती अल्काराव ,कनिष्ठ लिपिक एवं श्री बरखू राम, चौकीदार, प्रसार निदेशालय का माह जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक (हडताल अवधि) का वेतन भुगतान विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि श्रीमती अल्का राव कनिष्ठ लिपिक एवं श्री बरखूराम , चौकीदार के माह जनवरी 2021 से मार्च 20210 तक हडताल अवधि के देतन भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है जिससे वित्त उपसमिति अवगत हुयी ।

प्रबन्ध परिषद उक्त सूचना से अवगत हुयी ।

प्रबन्ध परिषद की 190वीं बैठक दिनांक 13—7—2021 में प्रस्तुत प्रस्ताव

प्रस्ताव सं190:3 आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज ,अयोध्या के वित्तीय वर्ष 2020—21 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2021—22 अनुमानित आय व्ययक पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2020—21 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2021—22 अनुमानित आय व्ययक पर सम्यक विचारोपरान्त परिशिष्ट—क के अनुसार आय व्ययक को सर्वसम्मति से अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उपसमिति की संस्तुति के कम में वित्तीय वर्ष 2020—21 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2021—22 का अनुमानित आय व्ययक परिशिष्ट—क के अनुसार अनुमोदित किया गया। माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया कि पशु चिकित्सा विज्ञान एव पशुपालन महाविद्यालय के कार्मिको को माह मई एवं जून 2021 क वेतन कम अनुदान प्राप्त होने के कारण भुगतान नही हो पा रहा है तथा शासन से अनुदान अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्ताव सं0190:4 आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज ,अयोध्या की वर्ष 2018—19 एवं वर्ष 2019—20 के आर्थिक चिठ्ठा **(Balance Sheet)** वित्त उप समिति एवं प्रबन्ध परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज ,अयोध्या की वर्ष 2018—19 एवं वर्ष 2019—20 के आर्थिक चिठ्ठा (Balance Sheet) के अवलोकनोपरान्त प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति के कम में प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया।

प्रस्तावसं0190:5 विश्वविद्यालय में प्रसार निदेशालय के नियंत्रणाधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत वैज्ञानिकों / कर्मचारियों (**Technical , Administrative and Scientific)** को निदेशक अटारी के ई–मेल दिनांक 10 मार्च 2021 के साथ संलग्न **Under Secretary(AE),ICAR** के पत्र संख्या **F.No.A.Extn.4/14/2018-AE&III dated 9.03.3031** एवं **F.No.A.Extn.4/14/ 2018-AE-III dated 11.03.3031** में दिये गये निर्देशानुसार सॉतवे वेतनमान का पुनरीक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रसार निदेशालय के नियंत्रणाधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत वैज्ञानिकों / कर्मचारियों (Technical , Administrative and Scientific) को निदेशक अटारी के ई–मेल दिनांक 10 मार्च 2021 के साथ संलग्न Under Secretary(AE),ICAR के पत्र संख्या F.No.A.Extn.4/14/2018-AE-III dated 9.03.3031 एवं F.No.A.Extn.4/14/ 2018- AE-III dated 11.03.3031 में दिये गये निर्देशानुसार सॉतवे वेतनमान के पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0190:6 विश्वविद्यालय में कृषि नियोजन में नियोजित कर्मकारों की मजदूरी पुनरीक्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग–3 द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 14/2020/474/36–03–2020–01 (अधि0) 2005 लखनऊ दिनांक 08–05–2020 के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में कृषि नियोजन में नियोजित कर्मकारों की मजदूरी पुनरीक्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग–3 द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 14/2020/474/36–03–2020–01 (अधि0) 2005 लखनऊ दिनांक 08–05–2020 की अधिसूचना के अनुसार रू0 201/– प्रतिदिन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0190:7 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद आजमगढ में कृषि विज्ञान केन्द्र –।। स्थापित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से उप सचिव (कृषि प्रसार) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद , कृषि अनुसंधान भवन ,पूसा , नई दिल्ली के पत्रांक A.Extn.7/21/2017-AR-II दिनांक 04 मार्च 2021 के कम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद आजमगढ में कृषि विज्ञान केन्द्र –।। स्थापित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0190:8 निदेशक अटारी , रावतपुर, कानपुर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) भारत स्राकर के पत्रांक **F. N0./ATARI/Soil Testing Kit/2016-17 Dated 22/03/2017** एवं **F. N0./ ATARI / Soil Testing Kit/2016-17 Dated February ,2017** के द्वारा 17 कृषि विज्ञान केन्द्रो हेतु रू0 14.62 लाख एवं 6.02 कुल रू0 20.64 लाख के मृदा परीक्षण किट क्रय किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से निदेशक अटारी , रावतपुर, कानपुर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) भारत सराकर के पत्रांक F. N0./ATARI/Soil Testing Kit/2016-17 Dated 22/03/2017 एवं F. N0./ATARI/Soil Testing Kit/2016-17 Dated February ,2017 में दिये गये निर्देशानुसार 17 कृषि विज्ञान केन्द्रो हेतु रू0 14.62 लाख एवं 6.02 कुल रू0 20.64 लाख के मृदा परीक्षण किट विश्वविद्यालय नियमानुसार क्रय किये जाने की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि आई0सी0ए0आर0 से जिस मद में धन प्राप्त हुआ है उसी मद में मृदा परीक्षण किट का क्रय किया जाय ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्नति से अंनुमोदित किया गया । प्रबन्ध परिषद ने यह भी सुझाव दिया कि आई0सी0ए0आर0 से प्राप्त धन का यूटिलाइजेशन अवश्य किया जाय ।

प्रस्ताव 190:9 विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर पर स्थापित प्रशासनिक भवन में 6 व्यक्तियों की क्षमता की लिफ्ट की स्थापना कराये जाने एवं उस पर होने वाले सम्भावित व्यय रू0 16.00 लाख को विश्वविद्यालय श्रोत से वहन किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर पर स्थापित प्रशासनिक भवन में 6 व्यक्तियों की क्षमता की लिफ्ट की स्थापना कराये जाने एवं उस पर होने वाले सम्भावित व्यय रू0 16.00 लाख को विश्वविद्यालय श्रोत से वहन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्म्ति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0190:10 विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर पर स्थापित प्रशासनिक भवन में आने वाले आगन्तुको हेतु पार्किंग के निर्माण एव उस पर होने वाले सम्भावित व्यय रू0 07.00 लाख को विश्वविद्यालय श्रोत से वहन किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि प्रशासनिक भवन में आने वाले आगन्तुको हेतु पार्किंग के निर्माण में प्रस्ताव में उल्लिखित 500 वर्गमीटर के स्थान पर इससे अधिक क्षेत्रफल पर पार्किंग निर्माण कराया जाना है जिसमें अब लगभग रू0 10.00 लाख का व्यय सम्भावित है। वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय की आवश्यकता के दृष्टिगत सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर पर स्थापित प्रशासनिक भवन में पार्किंग का निर्माण रू0 10.00 लाख की

सीमा तक कराये जाने एवं होने वाले व्यय को विश्वविद्यालय श्रोत से वहन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0190:11 आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज–अयोध्या के अधीन शैक्षणिक संवर्ग के पदो पर राज्यपाल सचिवालय ,उत्तर प्रदेश ,लखनउ पत्र संख्या ई–3019/32–जी0एस0/2020 दिनांक 18 मई 2021 एवं संख्या ई–4229/ जी0एस0 दिनांक 2 जुलाई 2021 के आलोक में उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में पारदर्शिता के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशानुसार एजेण्डा प्रस्ताव को वित्त उप समिति / प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचार एव निर्णय ।

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज–अयोध्या के अधीन शैक्षणिक संवर्ग के पदो पर राज्यपाल सचिवालय ,उत्तर प्रदेश ,लखनउ पत्र संख्या ई–3019/32–जी0एस0/2020 दिनांक 18 मई 2021 एवं संख्या ई–4229/ जी0एस0 दिनांक 2 जुलाई 2021 तथा विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1679327/67–कृशिअ–21–1099/26/2021 दिनांक 05–07–2021 के कम में विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में पारदर्शिता के सम्बन्ध मे दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । वित्त उपसमिति द्वारा यह भी संस्तुति प्रदान की गयी कि पूर्व में विज्ञापित प्दो के विज्ञापन को निरस्त करते हुए माननीय राज्यपाल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पदों का विज्ञापन पुनः किया जाय।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0190:12 विश्वविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों हेतु विज्ञापित विज्ञापन संख्या 01/2021 दिनांक 04–02–2021 व विज्ञापन संख्या 04/2021 दिनांक 18–03–2021 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु।

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों हेतु विज्ञापित विज्ञापन संख्या 01/2021 दिनांक 04–02–2021 व विज्ञापन संख्या 04/2021 दिनांक 18–03–2021 को निरस्त किये जाने एवं विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1679327/67–कृशिअ–21–1099/26/2021 दिनांक 05–07–2021 के कम में शैक्षणिक संवर्ग के पदो पर राज्यपाल सचिवालय ,उत्तर प्रदेश ,लखनऊ पत्र संख्या ई–3019/32–जी0एस0/2020 दिनांक 18 मई

2021 एवं संख्या ई–4229/ जी0एस0 दिनांक 2 जुलाई 2021 के अनुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में पारदर्शिता के सम्बन्ध मे दिये गये निर्देशानुसार प्रश्नगत शासनादेश की व्यवस्थाये लागू किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0190:13 विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों /वैज्ञानिकों को उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन अवकाश सम्बन्धी नियमावली में संशोधन पर विचारार्थ एवं निर्णय हेतु ।

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों /वैज्ञानिकों को उच्च शिक्षा हेतु विद्वत परिषद की 287वीं बैठक दिनांक 07–07–2021 में पारित अध्ययन अवकाश सम्बन्धी नियमावली में निम्नानुसार बिन्दुवार किये गये संशोधन पर विचार विमर्श किया गया :–

1– प्रतिवर्ष संबंधित कालेज की कुल संख्या की अधिकतम 5 प्रतिशत शिक्षकों को उनकी न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वरिष्ठता के आधार पर अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा ।

2– शिक्षको की वरिष्ठता योगदान तिथि के आधार पर निर्धारित होगी । दो शिक्षकों की योगदान तिथि के समानता की स्थिति में उन शिक्षकों को जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा ।

3– यदि किसी एक विभाग में भी दो शिक्षक वरिष्ठ होते है तो प्रथम वरिष्ठता धारक को ही अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा ।

4– विभाग में केवल एक ही शिक्षक की उपलब्धता की स्थिति मे महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा संस्तुति के पश्चात ही उस शिक्षक को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

5– पी0एच0डी0 में थेसिस रिसर्च कार्य ,विश्वविद्यालय की रिसर्च मैनडेट से संबंधित एवं समिति (जिसके चेयरमैन अधिष्ठाता परास्नातक (Dean P.G.) और सदस्य गण अधिष्ठाता व कुलसचिव हो) से Endorse अथवा Recommend किया जाना आवश्यक होगा ।

6– जिन शिक्षको /वैज्ञानिको के पास कोई Project चल रही है तो को–पी0आई0 को पी0आई0 के सहमति एवं महाविद्यालय के अधिष्ठाता की संस्तुति के कम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत पर विचार किया जायेगा। पी0आई0 को परियोजना पूर्ण होने के बाद ही उपरोक्त नियमो के अधीन अध्ययन अवकाश स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

7– न्यूनतम रू0 5400 ए0जी0पी0 में नियुक्त कार्मिक / तकनीकी कार्मिक को न्यूनतम 10 वर्ष (दस वर्ष) की सेवा पूर्ण होने पर ही उपरोक्त नियनों के अधीन अध्ययन अवकाश हेतु विचार किया जायेगा ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति महोदय ने समिति को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2018 में जारी गाइडलाइन के अनुसार पी0एच0डी0 अर्हता धारक अभ्यर्थियों का ही चयन शिक्षक/वैज्ञानिक के पद पर होगा किन्तु पूर्व में यह व्यवस्था न होने के फलस्वरूप पहले से कार्यरत

एवं पी0एच0डी0 न किये हुये शिक्षको एवं वैज्ञानिकों को पदोन्नति/कैरियर एडवांसमेंट का लाभ नही प्राप्त हो पा रहा है । पूर्व व्यवस्था के तहत विभागवार मात्र 5 प्रतिशत पदो पर ही अध्ययन अवकाश की व्यवस्था होने के कारण ऐसे अध्यापक पी0एच0डी0 भी पूर्ण नही कर पा रहे है। इस कारण उक्त 5 प्रतिशत लोगों को अध्ययन अवकाश पर भेजने सम्बन्धी नियम के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है ।

अतः समिति उक्त समस्या से अवगत हुयी एव शिक्षको /वैज्ञानिको के हित में यह सुझाव दिया गया कि यदि विश्वविद्यालय में ही पी0एच0डी0 हेतु अध्ययन अवकाश लिया जाता है तो 95 प्रतिशत शिक्षको की उपलब्धता को बनाये रखने (maintain) का प्रतिबन्ध शिथिल कर दिया जाये किन्तु यदि विश्वविद्यालय के बाहर अध्ययन अवकाश पर भेजा जाता है तो 95 प्रतिशत कार्यरत शिक्षकों की उपलब्धता का नियम यथावत रहेगा। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त वित्त उप समिति द्वारा शिक्षकों /वैज्ञानिकों को उच्च्य शिक्षा हेतु अध्ययन अवकाश संबधी प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए तदनुसार विस्तृत प्रस्ताव जिसमें स्वीकृत पदों एवं भरे पदों का पूर्ण विवरण का उल्लेख अवश्य हो ,आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0190:14 विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रो हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक कम अध्यक्ष, विषय वस्तु विशेषज्ञ (एस0एम0एस0)टी–6, टी–4 व अन्य रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन संख्या 02/2021 व विज्ञापन संख्या 03/2021 में विज्ञापित पदों की आयु सीमा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार आवश्यक संशोधन के निमित्त प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद के विचार एव निर्णय हेतु ।

वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रो हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक कम अध्यक्ष, विषय वस्तु विशेषज्ञ (एस0एन0एस0)टी–6, टी–4 व अन्य रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन संख्या 02/2021 व विज्ञापन संख्या 03/2021 में विज्ञापित पदों की आयु सीमा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार निम्नानुसार संशोधन किया जाना है:–

1– Prescribe age limit should be restricted to closing date of applicaton.
निर्धारित आयु सीमा आवेदन के अन्तिम तिथि तक सीमित होनी चाहिए ।

2– For the post of Senior Scientist cum Head, there is no age limit
वरिष्ठ वैज्ञानिक कम अध्यक्ष के लिए कोई आयु सीमा नही है ।

3– For the post of Subject Matter Specialist (T6), Farm Manager, Programme Assistant (Lab Technician),Programme Assistant (Computer), Assistant / All-T4 and others , the age should not exceed more than 40 years. Relaxation of 05 years in case of OBC and SC/ST category and for PWD 05 years relaxation in the

upper age limit in direct Recruitment for the post of Group A and Group B and 10 years relaxation in the upper age limit in direct recruitment for the post of Group C and Group D.

विषय वस्तु विशेषज्ञ (T4) प्रक्षेत्र प्रबन्धक, कार्यक्रम सहायक (लैब टेक्नीशियन) ,कार्यक्रम सहायक कम्प्यूटर , सहायक /समस्त T4 एव अन्य की आयु 40 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए । अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति हेतु 05 वर्ष तथा दिव्यांग (पी0डब्लू0डी0) व्यक्तियों को समूह क तथा ख की सेवाओं की सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष तथा ग तथा ध की सेवाओ की सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाय ।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार आयु सीमा में उक्त संशोधन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक विश्वविद्यालय परिसर कुमारगंज में आयोजित की जायेगी ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

(नीरज श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

(डा0बिजेन्द्र सिंह)
कुलपति/ अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।

पत्रांक ए0एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–190वी बैठक/लेखा/2021/322 दिनांक 13-07–2021

प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(नीरज श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

परिशिष्ट–क

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज ,अयोध्या

आय–व्ययक पुनरीक्षित व्यय वर्ष वर्ष 2020–21 एवं अनुमान वर्ष 2021–22 (धनराशि लाख में)

क्रमांक	मुख्य लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2020–21	प्रस्तावित अनुमान वर्ष 2021–22
1	राज्य सरकार राजस्व		
क	कृषि विश्वविद्यालय	6289.07	8567.20
ख	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	1223.80	2323.06
ग	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर,	191.28	456.88
घ	कृषि महाविद्यालय कैम्पस आजमगढ	377.29	499.18
छ	प्रसार योजनाओं का सुदृढीकरण(कृषि ज्ञान केन्द्रो हेतु)	2.00	2.00
ज	तकनीकी प्रशिक्षण	0.00	10.00
झ	नये प्रवेशकों पर नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	148.99	701.57
	योग (राज्य सरकार राजस्व)	**8232.43**	**12559.89**
2	राज्य सरकार राजस्व/पूॅजीगत		
	राजस्व		
क	भारतीय कृषि अनु0 परि0 के सहयोग से संचालित परियोजनाओ हेतु 75:25प्रतिशत परियोजनाओ हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश	349.04	453.21
ख	विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य	662.23	500.00
ग	रावे पर व्यय(25 प्रतिशत)	0.00	5.00
घ	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में वी0वी0एस0सी0एण्ड ए0एच0 पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु राज्यांश	0.00	1.50
च	कृषि विश्वविद्यालय में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स (धान पर अनुसंधान हेतु)	26.29	100.00
	कृषि विज्ञान केन्द्रो को सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित किया जाना	3.03	200.00
	राजस्व /पूॅजीगत		
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	2694.55	3797.07
	योग (राज्य सरकार राजस्व/पूॅजीगत)	**3735.14**	**5056.78**

3	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाएं		
क	शत प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु	3744.76	3609.19
ख	शत प्रतिशत वित्त पोषित शोध योजनाओं हेतु	376.45	451.74
ग	केन्द्रीय सहायता एन0टी0एस0	0.00	100.00
घ	रावे पर व्यय (75 प्रतिशत)	0.00	20.00
च	पुस्तकालय का सुदृढीकरण	0.00	50.00
	केन्द्रीय सहायता स्ट्रेन्थनिंग आफ डेवलपमेन्ट	149.46	500.00
	नाहेप योजना(NAHEP)	194.21	141.44
छ	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा 75:25 प्रतिशत के अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु (75 प्रतिशत धनराशि)	1047.13	1181.19
ज	शिक्षकों के यू0जी0सी0एरियर के भुगतान हेतु	1.29	1016.99
	योग	**5513.30**	**7070.55**
4	अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनायें	186.80	25.61
	योग	186.80	25.61
5	चक्रीय निधि	545.42	885.49
	योग	**545.42**	**885.49**
	सम्पूर्ण योग (1 से 5तक)	**18213.09**	**25598.32**

Acharya Narendra Deva University of Agriculture & Technology
Kumarganj, Ayodhya-224 229 (U.P.) India
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0–8 / लेखा / प्र0परि0–191वीं बैठकं / 2021 / 1060 दिनांक 27–12–2021

सेवामें,

माननीय सदस्य प्रबन्ध परिषद ।

विषयः– प्रबन्ध परिषद की 191वीं बैठक दिनांक 10–12–2021 के कार्यवृत्त प्रेषण के संबंध में ।

आदरणीय महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रबन्ध परिषद की 191 वीं बैठक दिनांक 10–12–2021 की कार्यवृत्त जो आपको ईमेल के माध्यम से दिनांक 17–12–2021 को प्रेषित की गयी थो , का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । इस संबंध में अवगत कराना है कि विशेष सचिव ,कृषि शिक्षा एव अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्रांक 187260 / 67–कृशिअ–21–1010 / 3 / 2019 दिनांक 12–10–2021 द्वारा बैठक की कार्यवृत्त ईमेल द्वारा सभी सदस्यों को प्रेषित किये जाने तथा सदस्यो को न्यूनतम 07 दिनांक का समय तैयार कार्यवृत्त में संशोधन / मन्तव्य देने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्क्रम में विशेष सचिव , कृषि शिक्षा एव अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्रांक 2271 / 2021 / कृशिअ'–67–1010(001) / 16 / 2019 दिनांक 20–12–2021 द्वारा प्रबन्ध परिषद की 191 वीं बैठक दिनांक 10–12–2021 की कार्यवृत्त में प्रस्ताव सं0 191:15, 191:16 , 191:17 में " निर्माण कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप एवं गुणवत्तापरक हो " अंकित किये जाने हेतु निर्देश दिया गया हैं। प्रबन्ध परिषद के अन्य किसी सदस्य का कार्यवृत्त में संशोधन / मन्तव्य हेतु कोई पत्र / ईमेल प्राप्त नही हुआ है।

अतः इस पत्र के साथ पूर्व में ईमेल के माध्यम से प्रेषित कार्यवृत्त की हार्डकापी एवं विशेष सचिव ,कृषि शिक्षा एव अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ का पत्र दिनांक 24–12–2021 संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

सादर ,

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(नीरज श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक / सचिव
प्रबन्ध परिषद

Signature......
Office of the Vice-Chancellor
N.D.U.A.T., Kumarganj, Ayodhya (U.P.)

संख्या-2271/2021/कृशिअ-67-1010(001)/16/2019

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
अयोध्या ।

Comptroller / DAM

Vice Chancellor

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग — दिनांक 24 दिसम्बर, 2021

विषय:- आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या के प्रबन्ध परिषद की 191वीं एवं वित्त उप समिति की बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक /सच्चिव, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के पत्रांक-ए०एन०डी०यू०ए०टी/08/प्र० परि०-191वीं बैठक/लेखा/2021/982, दिनांक 10.12.2021 एवं पत्रांक-ए०एन०डी०यू०ए०टी/08/प्र०परि०-191वीं बैठक/लेखा/2021/981, दिनांक 10.12.2021 को छायाप्रति संलग्नक कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या के प्रबन्ध परिषद की 191वीं एवं वित्त उप समिति की बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दु की पुष्टि कर ली गयी है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रबन्ध परिषद की 191वीं बैठक के कार्यवृत्त के प्रस्ताव सं०-191:15, 191:16, 191:17 में "निर्माण कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप एवं गुणवत्तापरक हो।" यह भी कार्यवृत्त में अंकित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के प्रबन्ध परिषद की 191 वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 10–12–2021

स्थान : सभाकक्ष
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान,
रायबरेली रोड दिलकुशा ,
लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 12.30 बजे ।

उपस्थिति :

1– डा0 बिजेन्द्र सिंह , कुलपति	– अध्यक्ष
2– श्री बावन सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा	– सदस्य
3– श्री बाबा गोरखनाथ , माननीय सदस्य विधान सभा	– सदस्य
4– श्री बृजराज सिंह यादव, विशेष कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0शासन ।	– सदस्य
5– श्री अशोक कुमार सिंह , वित्त नियंत्रक कृषि निदेशालय, लखनऊ नामित सदस्य अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन ।	– सदस्य
6– श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव , क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी नामित सदस्य अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा ,उ0प्र0शासन	– सदस्य
6– श्री ए0के0विश्नोई , संयुक्त कृषि निदेशक (धान्य फसलें) प्रतिनिधि निदेशक कृषि उ0प्र0	– सदस्य
7– डा0 एस0 के मलिक , निदेशक पशुपालन उ0प्र0	– सदस्य
9–श्री गंगा सागर राय , प्रख्यात उद्योगपति	– सदस्य
10– श्रीमती मुन्नी शर्मा, महिला सामाजिक कार्यकर्त्री	– सदस्या
11– श्री नीरज श्रीवास्तव, वित्त नियंत्रक	– सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति/अध्यक्ष ने प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया । माननीय कुलपति महोदय ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय का 23वॉ दीक्षान्त समारोह दिनांक 20–12–2021 को आयोजित किया जा रहा है। कुलपति महोदय द्वारा उक्त दीक्षान्त समारोह में प्रबन्ध परिष्द के माननीय सदस्यों के सम्मिलित होने के लिए अनुरोध किया गया , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव सं0 191:1 प्रबन्ध परिषद की गत 190वीं बैठक दिनांक 13–07–2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

प्रबन्ध परिषद की गत 190वीं बैठक दिनांक 13–07–2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

प्रस्ताव सं0191: 2 **प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना ।**

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना बैठक में प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यो के समक्ष प्रस्तुत को गयी जिससे प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुए एवं कृत कार्यवाही से सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी ।

प्रस्तावसं0191:3 **विश्वविद्यालय का 23वॉ दीक्षान्त समारोह माननीय कुलाधिपति महोदया की अनुमति से दिनांक 20–12–2021 को नियत है। उक्त दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप कृषि शिक्षा , शोध , प्रसार प्रबन्धन एवं नीति नियोजन के क्षेत्र में अति विशिष्ट एवं अविस्मरणीय योगदान देने वाले किसी विशिष्ट व्यक्ति को डाक्टर आफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान किये जने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षान्त समारोह दिनांक 20–12–2021 में विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप कृषि शिक्षा , शोध , प्रसार प्रबन्धन एव नीति नियोजन के क्षेत्र में अति विशिष्ट एवं अविस्मरणीय योगदान देने के लिए डा0 कीर्ति सिंह, पूर्व कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्वयोगिक विश्वविद्यालय ,कुमारगंज ,अयोध्या को डाक्टर आफ साइंस की मानद उपाधि से विभूषित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

प्रस्तावसं0191:4 **अर्न्तराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपीन्स को कृषि विज्ञान केन्द्र कोटवा, आजमगढ पर कियान्वित करनें विषयक प्रस्ताव पर विचार एव निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से अर्न्तराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपीन्स द्वारा स्वीकृत Climate Smart Management Practices" परियोजना को कृषि विज्ञान केन्द्र कोटवा आजमगढ पर क्रियान्वित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गयी ।

प्रस्तावसं0191:5 **विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों /वैज्ञानिकों को उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन अवकाश सम्बन्धी नियमावली में संशोधनार्थ प्रबन्ध परिषद की 190वीं बैठक दिनांक 13–07–2021 के प्रस्ताव सं0 190:13 में लिये गये निर्णयानुसार प्रस्ताव ।**

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों /वैज्ञानिकों को उच्च शिक्षा हेतु विद्वत परिषद की 287वीं बैठक दिनांक 07–07–2021 में पारित अध्ययन अवकाश सम्बन्धी नियमावली जिस पर प्रबन्ध परिषद की 190वीं बैठक दिनांक 13–07–2021 के प्रस्ताव सं0 190:3 में सैद्वान्तिक सहमति निम्नानुसार प्रदान की गयी :–

1– प्रतिवर्ष संबंधित कालेज की कुल संख्या की अधिकतम 5 प्रतिशत शिक्षकों को उनकी न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वरिष्ठता के आधार पर अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा ।

2– शिक्षको की वरिष्ठता योगदान तिथि के आधार पर निर्धारित होगी । दो शिक्षकों की योगदान तिथि के समानता की स्थिति में उन शिक्षकों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा ।

3– यदि किसी एक विभाग में भी दो शिक्षक वरिष्ठ होते है तो प्रथम वरिष्ठता धारक को ही अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा ।

4– विभाग में केवल एक ही शिक्षक की उपलब्धता की स्थिति मे महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा संस्तुति के पश्चात ही उस शिक्षक को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

5– पी0एच0डी0 में थेसिस रिसर्च कार्य ,विश्वविद्यालय की रिसर्च मैनडेट से संबंधित एवं समिति (जिसके चेयरमैन अधिष्ठाता परास्नातक (Dear P.G.) और सदस्य गण अधिष्ठाता व कुलसचिव हो) से Endorse अथवा Recommend किया जाना आवश्यक होगा ।

6– जिन शिक्षको /वैज्ञानिको के पास कोई Project चल रही है तो के–पी0आई0 को पी0आई0 के सहमति एवं महाविद्यालय के अधिष्ठाता की संस्तुति के कम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत पर विचार किया जायेगा। पी0आई0 को परियोजना पूर्ण होने के बाद ही उपरोक्त नियमो के अधीन अध्ययन अवकाश स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

7– न्यूनतम रू0 5400 ए0जी0पी0 में नियुक्त कार्मिक / तकनीकी कार्मिक को न्यूनतम 10 वर्ष (दस वर्ष) की सेवा पूर्ण होने पर ही उपरोक्त नियमों के अधीन अध्ययन अवकाश हेतु विचार किया जायेगा ।

अतः समिति उक्त समस्या से अवगत हुयी एवं शिक्षको /वैज्ञानिको के हित में यह सुझाव दिया गया कि यदि विश्वविद्यालय में ही पी0एच0डी0 हेतु अध्ययन अवकाश लिया जाता है तो 95 प्रतिशत शिक्षको की उपलब्धता को बनाये रखने (maintain) का प्रतिबन्ध शिथिल कर दिया जाये किन्तु यदि विश्वविद्यालय के बाहर अध्ययन अवकाश पर भेजा जाता है तो 95 प्रतिशत कार्यरत शिक्षकों की उपलब्धता का नियम यथावत रहेगा।

वित्त उप समिति विश्वविद्यालय में रिक्त/भरे शैक्षिक पदों की सूचना से अवगत हुयी ,तदोपरान्त उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त वित्त उप समिति द्वारा शिक्षकों/वैज्ञानिकों को उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन अवकाश संबधी प्रस्ताव को उक्तानुसार सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गयी ।

प्रस्तावसं0191:6 **प्रबन्ध परिषद की 189वीं बैठक दिनांक 05–02–2021 के प्रस्ताव सं0 189:17 में लिये गये निर्णय के कम में माह जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक (हडताल अवधि)में छूटे हुए कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु गठित समिति की संस्तुति पर विचार एव निर्णय हेतु प्रस्ताव ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव सं0 189:17 में लिये गये निर्णय एव गठित समिति की संस्तुति के कम में माह जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक (हडताल अवधि)में छूटे हुए कार्मिक श्री नरेन्द्र बहादुर सिह, सेवानिवृत्त अनुसंधान सहायक, श्री नम चन्द्र यादव ,सेवानिवृत्त शोध सहायक , श्री

बरखू राम, चौकीदार एव श्रीमती अल्का राव ,कनिष्ट लेपिक के वेतन भुगतान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयो ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गयी ।

प्रस्तावसं0191:7 कृषि निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृति **Establishment of milk processing plant** " परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृति **Establishment of milk processing plant** परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गयी ।

प्रस्तावसं0191:8 आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय अयोध्या की वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के आडिटेड आर्थिक चिट्ठा **(Audited Balance Sheet)** वित्त उपसमिति एवं प्रबन्ध परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज , अयोध्या की वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 के आडिटेड आर्थिक चिठ्ठ (Audited Balance Sheet) के अवलोकनोपरान्त प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गयी ।

प्रस्तावसं0191:9 आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय अयोध्या की वर्ष 2020–21 के आडिटेड आर्थिक चिट्ठा **(Balance Sheet)** वित्त उपसमिति एवं प्रबन्ध परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज ,अयोध्या की वर्ष 2020–21 के आडिटेड आर्थिक चिठ्ठा (Audited Balance Sheet) के अवलोकनोपरान्त प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गयी ।

प्रस्तावसं0191:10 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना से कृषि ज्ञान केन्द्र देवरिया के प्रशासनिक भवन निर्माण जनपद देवरिया कार्यान्वित किए जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना से प्राप्त धनराशि रू0 160.40 लाख से कृषि ज्ञान केन्द्र देवरिया के प्रशासनिक भवन का निर्माण जनपद देवरिया में किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति प्रबन्ध परिष्द द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गयी ।

प्रस्तावसं0191:11 कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा आंगनबाडी केन्द्र को गोद लेने विष्यक प्रस्ताव कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा आंगनबाडी केन्द को गोद लिये जाने एव उस पर होने वाले व्यय को कुलसचिव के रिवाल्विंग फण्ड /विश्वविद्यालय प्राप्तियों से वहन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गयी ।

प्रस्तावसं0191:12 कृषि निदेशालय ,उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृति "Drone : An Alternative Tool for Pest Surveillance and Management in Crops" परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय ,उत्तर प्रदेश लखनऊ के गाइडलाइन के अनुसार वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृति "Drone : An Alternative Tool for Pest Surveillance and Management in Crcps" परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गयी ।

प्रस्तावसं0191:13 Unbranded Hydraulic Diesel Recovery Vehicle with Single Boom Recovery Equipment NA(TATA 407 11 MTR SKY LIFT) का क्रय करने एव क्रय पर सम्भावित व्यय रू0 23.00 लाख का वहन विश्वविद्यालय प्राप्तियों से किये जाने पर विचार एव निर्णय

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय मुख्य परिसर एवं प्रक्षेत्र जो लगभग 18 किमी0 की परिधि में है तथा 100 स्ट्रीट लाइट के अनुरक्षण का कार्य बॉस द्वारा बनी हुयी सीढी से किया जाता है जिससे दुर्धटना की सम्भावना बनी रहती है। विश्वविद्यालय में पहले लगभग 100 कार्मिको

द्वारा विद्युत अनुरक्षण का कार्य किया जाता था जिसनें से अधिकतर सेवानिवृत्त हो गये है तथा जो बचे हुये है उनके अधिक उम्र होने के कारण विद्युत अनुरक्षण का कार्य लिये जाने से उनके जीवन की क्षति का भय बना रहता है। ऐसी स्थिति में Unbranded Hydraulic Diesel Recovery Vehicle with Single Boom Recovery Equipment NA(TATA 407 11 MTR SKY LIFT) का कय करने से स्ट्रीट लाइट के अनुरक्षण का कार्य सुगमतापूर्वक तीव्र गति से सुरक्षापूर्वक सम्पादित होगा ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से Unbranded Hydraulic Diesel Recovery Vehicle with Single Boom Recovery Equipment NA(TATA 407 11 MTR SKY LIFT) का कय जेम पोर्टल से करने एव कय पर सम्भावित व्यय रू0 23.00 लाख विश्वविद्यालय प्राप्तियों से वहन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गयी ।

प्रस्तावसं0191:14 **माननीय कुलपति एवं अतिथि आगंतुको के प्रक्षेत्र भ्रमण हेतु दो ई–रिक्शा के कय एवं कय पर सम्भावित व्यय 5.00 लाख का वहन विश्वविद्यालय प्राप्तियों से किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति एवं बाहर से आने वाले आगन्तुको के प्रक्षेत्र भ्रमण हेतु दो ई–रिक्शा का कय किया जाना आवश्यक है।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से दो ई–रिक्शा का कय जेम पोर्टल से किये जाने एवं कय पर सम्भावित व्यय रू0 5.00 लाख विश्वविद्यालय प्राप्तियों से वहन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसन्मति से अनुमोदित की गयी ।

प्रस्तावसं0191:15 **फंर्टिस इण्डिया प्रा0 लि0 हैदराबाद से परीक्षण हेतु विश्वविद्यालय को प्राप्त धन्राशि रू0 16.00 लाख में से नान–रिकरिंग मद में प्राप्त रू0 12.40 लाख के सापेक्ष परियोजना संचालन हेतु आवश्यक 273मी0लम्बाई में 2 फिट ईटों की दीवाल के साथ जाली लगवाते हुये चहारदीवारी का निर्नाण कराये जाने पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार एव निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से फंर्टिस इण्डिया प्रा0 लि0 हैदराबाद से परीक्षण हेतु विश्वविद्यालय को प्राप्त धनराशि रू0 16.00 लाख में से नान–रिकरिंग मद में प्राप्त रू0 12.40 लाख के सापेक्ष परियोजना संचालन हेतु आवश्यक 273 मी0 लम्बाइ में 2 फिट ईटों की दीवाल के साथ जाली

लगवाते हुये चहारदीवारी का निर्माण रू0 9.98 लाख से कराये जाने की कार्योत्तर संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गयी ।

प्रस्तावसं0191:16 विश्वविद्यालय के रिंग रोड से वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस को जाने वाले मार्ग के अनुरक्षण का कार्य कराये जाने एवं इस पर सम्भावित व्यय रू0 9.99 लाख का वहन विश्वविद्यालय प्राप्तियों से किये जाने पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के रिंग रोड से वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस को जाने वाले मार्ग के अनुरक्षण का कार्य कराये जाने एवं इस पर सम्भावित व्यय रू0 9.99 लाख का वहन विश्वविद्यालय प्राप्तियों से किये जाने की कार्योत्तर संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गयी ।

प्रस्तावसं0191:17 विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर मुख्य प्रयोग केन्द्र उद्यान के पूर्वी भाग में 273 मी0 लम्बाई मे 2 फिट ईटो की दीवाल के साथ जाली लगवाते हुये चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एव इस पर सम्भावित व्ययरू0 10.00 लाख विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में प्राप्त धनराशि रू0 17444575.00 के सापेक्ष किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर मुख्य प्रयोग केन्द्र उद्यान के पूर्वी भाग में 273 मी0 लम्बाई मे 2 फिट ईटो की दीवाल के साथ जाली लगवाते हुये चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं इस पर सम्भावित व्यय रू0 10.00 लाख का वहन विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में प्राप्त धनराशि रू0 17444575.00 से किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गयी ।

अन्य बिन्दु :-

श्री बाबा गोरखनाथ , माननीय सदस्य प्रबन्ध परिषद द्वारा मौखिक रूप से निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :-

1- विश्वविद्यालय के विभिन्न संवर्गो में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिनको शासन की प्रत्याशा में उच्च वेतनमान प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन से दिया गया था ,का पुनः शासनादेशानुसार वेतन निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा बिना प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन के किया जा रहा है, तथा प्रकरण को प्रबन्ध परिषद के समक्ष क्यो नही रखा गया ,के संबंध में जानकारी चाही गयी । जिसके कम में अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि शासनादेश सं0 1808/12-8-1506/96 दिनांक 14 मार्च 1997 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि विश्वविद्यालय में सामान्य भ्रान्ति है कि प्रबन्ध मण्डल कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है। चूँकि विश्वविद्यालय शत प्रतिशत राज्य सरकार से वित्त पोषित है तथा विश्वविद्यालय के समस्त व्यय भार शासकीय अनुदानों पर आधारित है , अतः वित्तीय उपाशय के प्रत्येक निर्णय पर शासन की सहमति के बिना कार्यवाही न की जाय। उपरोक्त के दृष्टिगत बिना शासनादेश के किसी भी संवर्ग के कार्मिक को कोई वेतनमान दिया जाना उचित नही है।

2– मौसम संबंधी परियोजना के समाप्त किये जाने के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने एवं परियोजना को बन्द किये जाने के विषय में जानकारी चाही गयी। उक्त के क्रम में अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वित्त पोषित संस्था द्वारा परियोजना संचालन हेतु समयान्तर्गत धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के कारण परियोजना का संचालन किया जाना सम्भव नही हो पा रहा था , ऐसी स्थिति में परियोजना बन्द किया जाना विश्वविद्यालय की विवशता थी।

3– श्री मनोज कुमार पाण्डेय, जो वर्ष 1989 से दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत है ,का विनियमितीकरण मानवीय आधार पर किये जाने का अनुरोध किया गया। तत्क्रम में अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चूँकि श्री पाण्डेय विनियमितीकरण नियमावली 2002 की शर्तें पूरी नही करते थे, जिसके कारणवश इनका विनियमितीकरण नही किया गया।

4– श्रीमती नीलम सिंह पत्नी श्री अजय भान सिंह के नियुक्ति के प्रकरण पर जानकारी चाही गयी । जिसके क्रम में अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद ने प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि श्रीमती सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनउ में योजित याचिका के निर्णय दिनांक 08–10–2018 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा श्रीमती सिंह के प्रकरण का निस्तारण आदेश दिनांक 19–12–2018 के माध्यम से किया जा चुका है ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया

(नीरज श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

(डा0बिजेन्द्र सिंह)
कुलपति/ अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।

पत्रांक ए0एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–191वी बैठक/लेखा/2021/982 दिनांक 10–12–2021

प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(नीरज श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद